सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 693/सो.आ.नि.–386/2015
दिनाँक: 16 मार्च, 2015

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर, कासगंज, चंदौली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013–14 में सम्पन्न सोशल आडिट की रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के पत्रांक प्र0म0ले0(जी0एण्ड एस0एस0ए0)/एस0एस0–1(नि0)/सोशल आडिट/115, दिनांक 02 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि नियमावली के नियम 3(2) में प्राविधानित है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गई ऐसी सामाजिक लेखा परीक्षाओं के निष्कर्षों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा, किन्तु अभी तक वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल सम्पन्न सोशल आडिट रिपोर्ट जनपदों से प्राप्त न होने के कारण भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग को निष्कर्षों का सार उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में सम्पन्न हुए सोशल आडिट के सम्बन्ध में आपसे प्राप्त सूचना को इस निदेशालय द्वारा संकलित कर अतिशीघ्र प्रधान महालेखाकार (आडिट), उ०प्र० को प्रेषित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 24.03.2015 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। सूचना की सॉफ्ट कॉपी (excel/doc) की फाइल भी अवश्य उपलब्ध कराएं। जिन जनपदों ने पहले ही उक्त सूचना निदेशालय को उपलब्ध करा दी है, वे जनपद भी निर्धारित प्रारूप पर सूचना पुनः प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि एकरूपता हो जाने के कारण सूचना संकलन में सुविधा हो सके।

भवदीय,

(कामरान रिजवी)
निदेशक।

पत्रांकः /सो.आ.नि.– /2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग द्वारा वांछित सूचना दिनांक 24 मार्च, 2015 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कामरान रिजवी)
निदेशक।

फैक्स / 1015 पत्र

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT).
U.P., ALLAHABAD

सत्यमेव जयते

सं0--प्र0म0ले0(जी0एण्ड एस0एस0ए0) / एस0एस0-- I(नि0) / सोशल आडिट / 115
दिनांक-- 02 ~~फरवरी~~ मार्च 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0शासन लखनऊ--226001

विषय--सोशल आडिट के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के गजट दिनांक 30जून 2011 में, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में सोशल आडिट का गठन / कराये जाने से संबंधित विनियम प्रकाशित किया गया है। उक्त नियमावली के नियम 3(2) में प्रावधानित है कि *किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी ऐसी सामाजिक लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा* । उपरोक्त के संबंध में अद्यतन उक्त रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त से संबंधित निष्कर्षों का सार इस कार्यालय में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीया,

उप महालेखाकार / सोशल सेक्टर-- I

सं0--प्र0म0ले0(जी0एण्ड एस0एस0ए0) / एस0एस0-- I(नि0) / सोशल आडिट / 115 तद्दिनांक
TR No-101

प्रतिलिपि-- निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा संगठन सातवां तल, पी0सी0एफ0भवन, 32 स्टेशन रोड लखनऊ--226001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप महालेखाकार / सोशल सेक्टर-- I

महात्मा गांधी नरेगा योजना

<table>
<tr><th colspan="4">सोशल आडिट प्रतिवेदन का सारांश</th></tr>
<tr><td>जनपद का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>विकासखण्ड का नाम</td><td>ग्रामपंचायत का नाम</td><td>सोशल आडिट की तिथि</td><td>वित्तीय वर्ष जिसके लेखों/कार्यों का सोशल आडिट किया गया</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">सोशल आडिट के निष्कर्षों का शीर्षकवार सारांश एवं प्रकाश में आई कमियों का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.परिवारों का पंजीकरण
से सम्बन्धित
(नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.जॉब कार्ड
से सम्बन्धित
(नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.काम के लिए आवेदन पत्र
से सम्बन्धित
(नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.काम का आवंटन
से सम्बन्धित
(नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान
से सम्बन्धित
(नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">6(क).कराए गए कार्य अनुमोदित कार्यों की श्रेणी में न होने से सम्बन्धित
(कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">6(ख).कार्यों का चयन एवं कार्य–आदेश
से सम्बन्धित
(कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">7(क). सामग्री की दरें एवं मात्रा
से सम्बन्धित
(कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">7(ख). कार्य का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण
से सम्बन्धित
(कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.सोशल आडिट के दौरान दृष्टिगोचर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं/ कमियों से सम्बन्धित
(नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">9. अन्य बिन्दु/अभ्युक्ति
(नाम सहित पूर्ण विवरण)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

(यदि आवश्यक हो, कृपया अतिरिक्त पन्ने जोड़ें।)

दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :
जिला विकास अधिकारी

इन्दिरा आवास योजना

सोशल आडिट प्रतिवेदन का सारांश			
जनपद का नाम			
विकासखण्ड का नाम	ग्रामपंचायत का नाम	सोशल आडिट की तिथि	वित्तीय वर्ष जिसके लेखों/कार्यों का सोशल आडिट किया गया

सोशल आडिट के निष्कर्षों का शीर्षकवार सारांश एवं प्रकाश में आई कमियों का विवरण	
1. वरीयता क्रम का उल्लंघन होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
2. इन्दिरा आवास आवंटित परिवार का अनर्ह होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
3. आवास का निर्माण पूर्ण न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
4. आवास की गुणवत्ता असंतोषजनक होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
5. आवास हेतु पट्टे की भूमि का उपयुक्त न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
6. आवास आवंटन में अनियमित रूप से धनराशि की मांग से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
7.शौचालय निर्माण में धनराशि के स्थान पर सामग्री प्राप्त कराने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
8.आवास में शौचालय का निर्मित न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
9.आवास के लाभार्थी को राजीव गांधी–विद्युत योजना/किसी अन्य योजना से विद्युतीकरण का लाभ न मिलने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
10.आवास के आस–पास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
11. अर्ह लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं का लाभ न मिलने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	
12. आवास पूर्ण होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी न करने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण)	

(यदि आवश्यक हो, कृपया अतिरिक्त पन्ने जोडें।)

दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :
जिला विकास अधिकारी